

प्रश्नातर संवधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'इक्कीस'

प्रश्न सं. [क. 6017]

[31/3/2016]

ANNX - 2

परिशिष्ट - 1
प्र. क्र. 6017

XVI(9) 212
पुनिमा हिन्दी

8352

फार्म नं. 1

प्रतिपाद्य
पृष्ठ क्रमांक

प्रथम मूच्छना प्रृतिवेदन (धारा 154 दं. प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Sec. 154 Cr.P.C.) 31

जिला कानपुर धारा 154 Cr.P.C. वर्ष 2015 प्रसंस्कृति 25/2/2015

(1) विधान धारा 154 दं. धाराएँ 42 & 44, 65, 70, 71, 74

(2) विधान धारा 154 दं. धाराएँ 42 & 44, 65, 70, 71, 74

(3) विधान धारा 154 दं. धाराएँ 42 & 44, 65, 70, 71, 74

(4) अन्य विधान एवं धाराएँ 42 & 44, 65, 70, 71, 74

(अ) मंदिरपति रोजनामचा सान्हा क्र. 2010117 समय 10:00 AM

(ब) घटना का दिन 20/3/2015

(स) धारा पर मूच्छना प्राप्त होने का दिनक 20/3/2015 समय 10:12 AM केसलाई

मूच्छना का प्रकार : अभियुक्त / प्रौढ़ियक

घटना स्थल : (अ) धारा से दिशा व दूरी 1.5 K.M.

(ब) घटना स्थल का पता कुमारपुर ग्राम पाली बीड़नं. ५

(स) घटना स्थल अन्य धारा क्षेत्राधिकार है तो धारा 9 विला

अभियोगी / मूच्छनाकर्ता : (अ) नाम : श्री रमेश कुमार (प्राप्तिकर्ता)

(ब) पिता / पति / प्राप्तक का नाम : श्री अरविंद कुमार

(स) जन्म दिनांक / वर्ष : 20/3/2015 (प्राप्तिकर्ता)

(द) पासपोर्ट नं. 56 जारी दिनांक 5 जारी होने का स्थान : आवश्यकतानुसार पृथक् पृष्ठ का प्रयोग करें

(क) व्यवसाय : अधिकारी / उपर्युक्त विवरण नं. 16107309839465

प्राप्तिकर्ता : अपात्र / संदेशी / अप्रौढ़ी का पूर्ण विवरण

आवश्यकतानुसार पृथक् पृष्ठ का प्रयोग करें

उपर्युक्त विवरण नं. 16107309839465

अभियोगी / मूच्छनाकर्ता द्वारा मूच्छना दिये जाने में विलम्ब का कारण

उपर्युक्त विवरण नं. 16107309839465

अपहृत / सम्बद्ध सम्पत्ति का पूर्ण विवरण (आवश्यकतानुसार पृथक् पृष्ठ का प्रयोग करें)

अपहृत सम्बद्ध सम्पत्ति का कुल मूल्य

अपहृत मूल्य मूच्छना क्रमांक (यदि हो)

प्रथम मूच्छना विवरण : आवश्यकतानुसार पृथक् पृष्ठ का प्रयोग करें

(क. प. 3)

NOTA

१३. कांपलाहो जो आरोहन है : उपरोक्त विवरण से भारत का विवेकनन में लिया गया / नहीं लिया गया तथा

क्षेत्राभिनामन्त्र दृष्टिगत भावा
 या दृष्टि प्र.सं. को धरण 157 "ब" के अनुसार आमत्यादी की गई।
 अन्तिमतीमुख्यमानकर्ता को प्र. सू. पत्र पढ़ायकरप्रकरण मुक्तया भव
 सुखमानकर्ता को निःशुल्क प्रदाया की गयी।

को अपनी विद्या देते हैं।

卷之三

हस्ताक्षर प्रभावी अधिकारी

* (नाम) शंकर
*(पद)
*(नं. यदि है)

गोपनीय/सुधारना करने के सम्बोधन/निशानी घंटूठा।

मातृ भाषनीय ल्यायिका

पाठी और सूचन

सातावें साल - २०८ - प्राप्ति - १५-०७-१९ - ४,०००. रुपये। १५० रुपये हफ्तीकोट में

परिवर्तन - 2

कार्यालय कलेक्टर जिला सागर (म.प्र.)

क्रमांक
प्रति.

रधापना विभागी-1 / 2015

सागर दिनांक

/ 12 / 2015

प्रमुख राजस्व आयुक्त,
मध्यप्रदेश भोपाल

विषय-

विधान सभा अंतारांकित प्रश्न क्रमांक 1876 द्वारा श्रीमती गाल्ल साहू के शरी।

सन्दर्भ-

प्रमुख राजस्व आयुक्त मध्यप्रदेश भोपाल का द्वारा क्रमांक 1876 स्था. / प्रश्ना.आ / 2015 / 7161 भोपाल दिनांक 27.11.2015

उक्त विधान सभा अंतारांकित प्रश्न क्रमांक 1876 के उत्तर की जानकारी अनुविभागीय अधिकारी राहतगढ़ से प्राप्त की गई जिसके आधार पर जानकारी तैयार कर आपकी ओर निम्नानुसार प्रेषित है—

प्रश्न-

(क)-क्या वर्ष 2015 में सागर जिले के राहतगढ़ अनुविभागीय अधिकारी के अधीनस्थ कार्यालय में एक महिला की फर्जी नियुक्ति की जाकर संबंधित लम्बीदबार को कर्तव्य पर उपस्थित कराया गया था?

(ख)-प्रश्नाशक्ति में वर्णित कर्मचारी के लिए आधीन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील राहतगढ़ के कार्यालय में बनाया गया था। जिसके द्वारा बनाया गया था और वह कर्मचारी उक्त कार्यालय में कब से पदस्थ था? इस कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?

(ग)-दोनों दोषी कर्मचारियों द्वारा कुल राजस्व के एवं जनपद के कितने प्रकरण तैयार किये गये थे और इनमें से कितने प्रकरणों पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी? क्या इसकी जाच जिले में पदस्थ किसी अन्य अधिकारी से करायी जाकर कार्यवाही की जावेगी?

उत्तर-

(क)-सागर जिले के राहतगढ़ अनुविभागीय अधिकारी के अधीनस्थ कार्यालय तहसीलदार राहतगढ़ में किसी भी महिला की फर्जी नियुक्ति नहीं की गई है। शेष निरंक है।

(ख)-प्रश्नाशक्ति में संबंधित जानकारी निरक है।

(ग)-जानकारी निरक है।

पृष्ठक्रमांक/
प्रतिलिपि:-

स्थापना विभागी-1 / 2015

प्रियंका कलेक्टर
वास्ते कलेक्टर सामूहिक
सागर दिनांक / 12 / 2015

कमिशनर, सागर सभाग सागर को और सूचनाथ प्रेषित।

म.प्र. कलेक्टर, भाजपा

प्रियंका